Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-2716814, 2716805, e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free Help Line No. : 18001806127 Ext. 7

No. F-8(23)/स.आ./रा.प्र.नि.म./174-208 दिनांक– 18.06.2020

कार्यालय आदेश

यह ध्यान में लाया गया है कि मण्डल मुख्यालय परिसर में विभिन्न उद्योगों से उनके प्रतिनिधि/सलाहकार(Consultant) संबंधित ग्रुप/शाखा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने/दस्तावेज जमा करवाने हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होते हैं। इस कारण मण्डल कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही अधिक रहती है। वर्तमान में COVID-19 महामारी के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना में पर्याप्त सामाजिक दूरी(Social Distancing) रखना आवश्यक है। अतः राज्य मण्डल में अनावश्यक एवं अनाधिकृत व्यक्तियों(Consultants) इत्यादि के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिये निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. राज्य मण्डल परिसर के मुख्य द्वार पर परियोजना प्रस्तावक(Project Proponent) अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जावे। तथापि परियोजना प्रस्तावक(PP) अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ तकनीकी सहायता हेतु Technical Consultant के प्रवेश की आवश्यकता है तो परियोजना प्रस्तावक(PP) द्वारा अधिकृत सलाहकार (Technical Consultant) को प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा आगन्तुकों के Authority Letter/ID Card की जाँच की जावे। कार्यालय में प्रवेश हेतु अनुमति देने में सुरक्षाकर्मी को किसी प्रकार के भ्रम (Confusion) होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष अथवा शाखा प्रभारी(प्रशासन) से आंतरिक दूरभाष पर परामर्श के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावे।
2. मुख्य द्वार पर संधारित आगन्तुक पंजिका में आने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं कार्यालय में आने का उद्देश्य तथा किससे मिलना है, इसका स्पष्ट इन्द्राज किया जावे।
3. परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि अथवा उनके साथ आने वाले व्यक्ति शाखा प्रभारी से ही मिल सकेंगे। किसी को भी AEE, JEE, SO, JSO से मिलने की इजाजत नहीं होगी।
4. समस्त शाखा प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि उनकी शाखा में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति/सलाहकार अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं करें। यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी शाखा में या अधिनस्थ अधिकारियों के पास बैठा पाया गया तो संबंधित अधिकारी की जिमेदारी तय की जावेगी।
5. शाखा प्रभारी(प्रशासन) समय–समय पर सभी शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर तथा समस्त शाखा प्रभारी अपनी–अपनी शाखाओं का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकारी के पास अनाधिकृत व्यक्ति के उपस्थित पाये जाने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना सदस्य सचिव व अध्यक्ष महोदय को देगें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. विजय सिंहल)
सदस्य सचिव

No. F-8(23)/स.आ./रा.प्र.नि.मं./174-208 दिनांक– 18-06-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

4. ग्रुप प्रभारी(प्रशासन), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर को लेख है कि मण्डल मुख्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी को उपरोक्त आदेश पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबन्द करें।
5. ग्रुप प्रभारी, नीति एवं योजना/बी.एम.डब्ल्यू./ई-वेस्ट/एम.एस.डब्ल्यू एवं ई.सी.सी./टैक्सटाईल/ सी.पी.पी. /एच.ओ.जी.एम./एम.यू.आइ.डी./एस.सी.एम.जी एवं डी.एस./हजार्डस वेस्ट/पी.डी.एफ. एवं प्रोजेक्ट/लिक्विड वेस्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट/सी.डी./आई.टी./ए.सी.पी., राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, अलवर/ भिवाडी/ भरतपुर/ बीकानेर/ बालोतरा/ जयुपर (उत्तर)/ जयपुर(दक्षिण)/ भीलवाडा/पाली/ चित्तौडगढ/ सीकर/ उदयपुर/ कोटा/ जोधपुर/ किशनगढ को लेख है कि इसी प्रकार का आदेश क्षेत्रीय कार्यालय परिसर हेतु स्वयं के स्तर पर जारी करें।
7. मास्टर फाईल।

सदस्य सचिव

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA